न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा / 130 / 2020

1. श्रीमती बुली देवी पत्नि श्री लाला उर्फ लालाराम जाति जाट हाल निवासी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया भवन दायां भाग जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

– वादीया –

बनाम

1. लाला उर्फ लालाराम पुत्र श्री लक्ष्मण उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम हसनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

व

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

निर्णय – दिनांक : 18.07.2023

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादीया के वादपत्र का मूल आधार वादिया को प्रार्थी / प्रतिवादी से भरण पोषण प्राप्त करने का है और इसी कारण वादिया द्वारा यह निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भरण पोषण दिलाने व मांगने के संबंध में कोई प्रावधान नही है, इस प्रकार अनुतोष देने में न्यायालय श्रीमान भी सक्षम नही है इसलिए वादिया का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित अनुतोषों की श्रेणी में नही आता है और बार्ड बाई लॉ है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अनुसार निषेधाज्ञा का वाद केवल मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार ही ला सकता है या ऐसा व्यक्ति ला सकता है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत खातेदारी प्राप्त होने की सम्भावना हो। वादिया उपरोक्त दोनों ही श्रेणी के व्यक्तियों में नही आती है ऐसी दशा में वादिया को वाद प्रस्तुत करने का कोई लॉकस नही है। इसलिए भी वादिया का वाद चलने

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

योग्य नही है और आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के जीवित रहते हुए वादिया को किसी भी कानून में किसी भी प्रकार से किसी प्रकार के हित व अधिकार कृषि भूमि में ना तो उत्पन्न हो सकते है और ना ही वादिया प्राप्त कर सकती है, वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद प्रीमेचोर वाद है जिसमें वह किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही कर सकती है इसलिए भी वादिया को वाद प्रस्तुत करने का कोई लॉकस नही है और वादिया का वाद बिना किसी लॉकस(अधिकार) के प्रस्तुत किया गया है इसलिए भी सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादिया को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार न होने एवं बाड बाई लॉ होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी/वादी को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नियत की गई।

बहस प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। अप्रार्थी/वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। जिसमें अंकन कि वादग्रस्त आराजीयात वर्णित वादपत्र मद संख्या 1 में वादिया के पति प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा निहित है। वादीया का विवाह प्रतिवादी संख्या 1 के साथ आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विधिवत रूप से सम्पन्न हुआ था। जब से आजदिनांक तक वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 का आज दिनांक तक विवाह विच्छे नहीं हुआ हैं। जिस कारण वादीया प्रतिवादी संख्या 1 से भरण पोषण मेन्टिनेन्स प्राप्त करने की विधिक उत्तराधिकारी है। वादीया प्रतिवाद संख्या 1 की विधिक पत्नि व उत्तराधिकारिणी है। जिस कारण वादिया को उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से तक की भूमि की सुरक्षा करने व करवाने की अधिकारिणी है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीया का पति प्रतिवादी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीया स्वयं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नही है वादिया का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित अनुतोषों की श्रेणी में नही आता है और बार्ड बाई लॉ हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अनुसार निषेधाज्ञा का वाद केवल मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार ही ला सकता है या ऐसा व्यक्ति ला सकता है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत खातेदारी प्राप्त होने की सम्भावना हो। वादिया उपरोक्त दोनों ही श्रेणी के व्यक्तियों में नही आती

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

है ऐसी दशा में वादिया को वाद प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य न होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादीया का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

श्रीमती बुली देवी बनाम लाला उर्फ लालाराम व अन्य

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
व
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

मुकदमा नम्बर – दावा/117/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादीया का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.07.2023 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत .....

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner